Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में कनिष्ठ सहायक 2500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 अगस्त, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मनोज कुमार पाटीदार, कनिष्ठ सहायक कार्यालय पदैन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, भोजातों का ओड़ा, ब्लॉक दोवड़ा, जिला डूंगरपुर को परिवादी से 2500 **रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी नव–नियुक्ति पर पै–मैनेजर में एम्पलाई डाटा अपलोड करने एवं प्रथम वेतन बिल बनाने की एवज में मनोज कुमार पाटीदार, कनिष्ठ सहायक कार्यालय पदैन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, भोजातों का ओड़ा, ब्लॉक दोवड़ा, जिला डूंगरपुर द्वारा 5 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी डूंगरपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए मनोज कुमार पाटीदार पुत्र श्री कचरू लाल पाटीदार निवासी पावड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय पदैन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, भोजातों का ओड़ा, ब्लॉक दोवड़ा, जिला डूंगरपुर को परिवादी से **2500 रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 1500 रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।